न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर जैतारण (जिला. पाली)

लोक अदालत / कैम्प कोर्ट 2015

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर०ए०एस०

राजस्व वाद संख्या : 73/2015

वादी :-	बनाम	प्रतिवादीगण :-
1. मानाराम पुत्र मोतीराम जाति-सीरवी, निवासी-बैंड़कलां, तह.-जैतारण, जिला-पाली (राज.)		1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, जैतारण तहसील-जैतारण (जिला-पाली)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा, व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92ए राजस्थान काश्तकार अधिनियम, 1955 **तारीख रजू: 22/05/2015**

उपस्थितः 1. वादी स्वयं उपस्थित ।
2. तहसीलदार, जैतारण उपस्थित।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 22/05/2015**

राज्य सरकार के आदेशानुसार अटल सेवा केन्द्र - बेड़कलां पर आयोजित लोक अदालत / केम्प कोर्ट'' में वादी ने एक राजस्व वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88, एवं 92'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया हैं कि सरहद मौजा-बैंड़कलां, तहसील-जैतारण (जिला-पाली) में वादी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 533 रकबा 5-19 बीघा एवं 644 रकबा 13-02 बीघा की भूमि आई हुई हैं। नामान्तरकरण संख्या 228 दिनांक 11/06/1972 वादी मोतीराम के वारिसान क्रमशः जोगाराम, रेवतराम, अणदाराम, मानाराम धनाराम पि० मोतीराम कौम-सीरवी के नाम स्वीकृत किया गया। जिसका राजस्व रेकर्ड ततकालीन जमाबन्दी में इन्द्राज करते समय जोगाराम, रेवतराम, अणदाराम, धनाराम पि० मोतीराम ही दर्ज किया एवं वादी का नाम मानाराम पुत्र मोतीराम इन्द्राज होने से त्रुटिवश छूट गया था। मजमा-ए-आम शिविर-बैंड़कलां में मौतबिरान से पूछताछ करने पर एवं लिखत बेचान हक्कूक खातेदारी दस्तावेजात के आधार पर वाद पत्र के तथ्यों की संपुष्टि होती हैं। अतः वादी का वाद स्वीकार किये जाने एवं वादी का वर्तमान राजस्व रेकर्ड में मानाराम पुत्र मोतीराम नाम दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। आज दिनांक 22/05/2015 को मजमा-ए-आम में पूछताछ करने पर बताया कि ग्राम-बैंड़कलां के जोगाराम, रेवतराम, अणदाराम, मानाराम धनाराम पि० मोतीराम कौम सीरवी के पुत्रान पांच हैं किन्तु राजस्व रेकर्ड में जोगाराम, रेवतराम, अणदाराम, धनाराम पि० मोतीराम ही दर्ज हैं। पांच पुत्रों के अलावा मोतीराम सीरवी के अन्य

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

कोई पुत्र नहीं हैं। वादी का नाम मानाराम पुत्र मोतीराम का नाम नामान्तरकरण में दर्ज हो गया किन्तु आगामी जमाबन्दी में दर्ज होने से रह गया, जिसे वर्तमान राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने की स्वीकारोक्ति दी हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा मजमा–ए–आम लोक अदालत शिविर–बैंड़कलां में जानकारी भी प्राप्त की गई। उपस्थित वादी ने अपना नाम मानाराम पुत्र मोतीराम का नाम उक्त भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज कर अमल दरामद किये जाने की ईशतदुआ की हैं। प्रस्तुत आधार कार्ड संख्या 348023037414 अनुसार वादी का नाम मानाराम पुत्र मोतीराम होना बखूबी साबित हैं। वस्तुतः जैसाकि नामान्तरकरण संख्या 228 दिनांक 11/06/1972 में वादी का नाम दर्ज हैं। वादी का वाद माफिक भू0अ0निरीक्षक एवं पटवारी हल्का–बैंड़कला की रिपोर्ट तथा साक्ष्य सबूत के उक्त दस्तावेजात स्वीकार किया जाना तथा वादी का नाम उक्त भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक रिपोर्ट भू0अ0निरीक्षक एवं पटवारी हल्का–बैंड़कलां की रिपोर्टादि एवं दस्तावेजात अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–बैंड़कलां, तहसील–जैतारण (जिला–पाली) में खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 533 रकबा 5–19 बीघा एवं 644 रकबा 13–02 बीघा भूमि में वादी का नाम मानाराम पुत्र मोतीराम सीरवी, निवासी–बैंड़कला दर्ज कर वर्तमान राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। निर्णय की प्रति भेजकर तहसीलदार, जैतारण को पालना हेतु आदेशित किया जावें। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

निर्णय आज दिनॉक 22/05/2015 को आयोजित लोक अदालत / कैम्प कोर्ट 2015 शिविर अटल सेवा केन्द्र बैंड़कलां में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

वादी :-

1. मानाराम पुत्र मोतीराम
जाति-सीरवी, निवासी-बैंड़कलां,
तह.-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. राजस्थान सरकार जरिए
तहसीलदार, जैतारण
तहसील-जैतारण (जिला-पाली)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा, व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92ए राजस्थान काश्तकार अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0: 73/2015

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-........ व हाजरी स्वयं वादी मिनजानिब मुद्दई व प्रतिवादी संख्या. 2 मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक रिपोर्ट भू0अ0निरीक्षक एवं पटवारी हल्का-बैंड़कलां की रिपोर्टादि एवं दस्तावेजात अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-बैंड़कलां, तहसील-जैतारण (जिला-पाली) में खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 533 रकबा 5-19 बीघा एवं 644 रकबा 13-02 बीघा भूमि में वादी का नाम मानाराम पुत्र मोतीराम सीरवी, निवासी-बैंड़कला दर्ज कर वर्तमान राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। निर्णय की प्रति भेजकर तहसीलदार, जैतारण को पालना हेतु आदेशित किया जावें। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें 'मय सूद व शहर ....-......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर लोक अदालत / केम्प कोर्ट शिविर अटल सेवा केन्द्र बेंड़कलां में आज तारीख 22/05/2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी जैतारण

उपखण्ड अधिकारी
(जिला-पाली)
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः–	Nil		मिजानः–	Nil	

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलायाँ गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

उपखण्ड अधिकारी
देसाणा (पाली)